Registrar of Firms, Societies
and Chit Funds

17 Reforms undertaken by Registrar of Firms, Societies and Chit Funds

17.1 Mandate for only-online submission for application for Registration of Partnership Firms and Societies

The Registrar of Firms, Societies and Chit Funds, Government of Uttarakhand has mandated that applications for the Registration, Renewal and Amendment for Partnership Firms and Societies be availed only through the online mechanism. The Department has also mandated that these services be provided through the online portal without any hard copy processes and physical touchpoints.

The online portal allows the submission, fee payments and approvals to be done in a completely online manner.

संख्या– 35 /XXVII(6)–930/चार/2013/17

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
फर्म्स, सोसाईटीज एवं चिट्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–6 देहरादून: दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

विषय :– वित्त विभाग के अधीन फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स के विभागीय कार्यों को IFMS साफ्टवेयर के माध्यम से पूर्णतया ऑनलाईन किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी सरकारी कार्यों के सम्पादन में इलेक्ट्रानिक पद्धतियों का प्रयोग करना आवश्यक है। इलेक्ट्रानिक पद्धति की ऑनलाइन प्रकिया से सम्पन्न होने वाले कार्य मैनुअल प्रकिया की तुलना में अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं त्वरित होते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्यहित में इस पद्धति को अपनाया जाना आवश्यक हो गया है। राज्य में वित्त विभाग के अधीन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत विभिन्न समितियों का पंजीकरण, नवीनीकरण एवं इससे सम्बन्धित अन्य कार्यों तथा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत भागीदारी फर्मो के पंजीकरण, संशोधन की प्रकिया अभी भी परम्परागत तरीके से चल रही है। इन कार्यों को ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से किये जाने पर विभाग/लाभार्थियों को जहाँ कार्य करने में सरलता होगी वहीं इनसे सम्बन्धित विभिन्न रिपोर्टो का रन टाइम जनरेट करके प्राप्त किया जाना सम्भव हो जायेगा।

उक्त के कम में राज्य में विभिन्न समितियों एंव भागीदारी फर्मो के पंजीकरण, नवीनीकरण, संशोधन इत्यादि से सम्बन्धित कार्यों को और अधिक प्रभावशाली, सरल एव उपयोगी बनाये जाने की दृष्टि से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तत्काल प्रभाव से फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स कार्यालय के अन्तर्गत उक्त वर्णित कार्यों को मैनुअल प्रकिया **को IFMS के माध्यम से** ऑनलाइन किए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस हेतु संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार निर्धारित प्रकियाओं का पालन किया जाएगा।

उक्त से सम्बन्धित वाह्य यूजरों व विभागीय यूजरों के प्रशिक्षण एंव **साफ्टवेयर के टेस्टिंग** के सम्बन्ध में यथा उचित व्यवस्था एन0आई0सी0 एंव निदेशक कोषागार, पेंशन एंव हकदारी उत्तराखण्ड/कार्यदायी संस्था के माध्यम से दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक प्रत्येक दशा में करा ली जाय। दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 से राज्य में विभिन्न समितियों के पंजीकरण, नवीनीकरण एंव संशोधन तथा भागीदारी फर्मो के पंजीकरण एंव संशोधन एवं प्रपत्रों की सत्य प्रतिलिपि लिये जाने हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेगें तथा दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 से उपरोक्त कार्यो हेतु वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया पूर्णतया समाप्त हो जायेगी। इस ऑनलाइन प्रकिया की जानकारी वाह्य यूजरों को दिये जाने के लिए राज्य में प्रचलित प्रमुख समाचार–पत्रों में इस आशय की विज्ञप्ति भी प्रकाशित की जाय। सम्बन्धित एक्ट व नियमावली/नियमों में जहाँ–जहाँ आवश्यक संशोधन अपेक्षित हैं उसे यथा समय कर लिया जायेगा। शासन के द्वारा पूर्व में विभाग हेतु जारी किये गये शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।